प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 04.06.2026

- **चोरी के अपराधों पर अंकुश लगाने में कानपुर देहात पुलिस की एक और बड़ी कार्यवाही।**
- **थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा 48 घन्टे के अन्दर चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 03 अभियुक्तगणों को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में चोरी के अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा वादी श्री भानू प्रकाश पुत्र शिवनाथ निवासी वार्ड नं0 01 इन्द्रानगर पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा दिनाँक 31.05.2026 समय 09.00 बजे की रात्रि में वादी के ट्रैक्टर सं0 UP77S4272 एवं ट्राली को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 03.06.2026 को मु0अ0सं0 194/2026 धारा 303(2) BNS का अभियोग बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया। जिसमें थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर 48 घन्टे के अन्दर चोरी का खुलासा करते हुए आज दिनांक 04.06.2026 को मुखबिर खास की सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तगण 1. अवधेश कुमार यादव उर्फ बबलू पुत्र स्व0 नारायण यादव निवासी ग्राम पुैरनी थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर, 2. गुलाब सिंह पुत्र पंचम सिंह निवासी रनियां की मडैया थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात, 3. राजेश पुत्र मेवालाल निवासी हथेही थाना घाटमपुर जिला कानपुर नगर, को कल्ला से अकोढी रोड की तरफ जाने वाले खडंजे पर अकोढी रोड से करीब 500 मीटर दूरी से 02 ट्रैक्टर व 01 ट्रॉली के साथ गिरफ्तार का गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) BNS की बढोत्तरी की गयी है । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है ।

पूछताछ- अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया गया कि यह बिना नम्बर का ट्रैक्टर महिन्द्रा अवधेश कुमार यादव उर्फ बबलू ने उमेश व 02 अन्य साथियों के साथ मिलकर ग्राम पवई थाना जरिया जनपद हमीरपुर से मय ट्रॉली के चोरी किया था। ट्रॉली अंशू और उमेश द्वारा बेच दी थी। उसके बाद दिनांक 31.05.2026 को आंधी व पानी के बाद ट्रैक्टर नं0 UP77S4272 मय ट्रॉली के उमेश और अवधेश कुमार यादव उर्फ बबलू ने हरदुआ पुल के पास से चुराया था, फिर उन दोनों ने गुलाब व उसके बहनोई राजेश को बताया था तो वे लोग भी साथ हो लिये और आज ट्रैक्टरों को ले जाकर बेचने की फिराक में जा रहे थे तो आप लोगों ने हमें पकड लिया । उमेश अभी हमारे साथ ही था। वह आप लोगों को देखकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया है।

पूछताछ के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त उमेश उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण–

1. अवधेश कुमार यादव उर्फ बबलू पुत्र स्व0 नारायण यादव निवासी ग्राम पुरैनी थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर उम्र करीब 42 वर्ष,
2. गुलाब सिंह पुत्र पंचम सिंह निवासी रनियां की मडैया थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 30 वर्ष,
3. राजेश पुत्र मेवालाल निवासी हथेही थाना घाटमपुर जिला कानपुर नगर उम्र करीब 45 वर्ष,

अभियुक्त अवधेश कुमार यादव उर्फ बबलू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 185/2015 धारा 341/384/395/397/412 भादवि थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर
2. मु0अ0सं0 81/2016 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली हमीरपुर जनपद हमीरपुर
3. मु0अ0सं0 148/2016 धारा 307 भादवि थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर
4. मु0अ0सं0 149/2016 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर
5. मु0अ0सं0 45/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना जरिया जनपद हमीरपुर
6. मु0अ0सं0 12/2026 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना जसपुरा जनपद बाँदा
7. मु0अ0सं0 77/2026 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना जसपुरा जनपद बाँदा
8. मु0अ0सं0 194/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात

अभियुक्त गुलाब सिंह व राजेश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 194/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात

बरामदगी-

1. 02 ट्रैक्टर व 01 ट्रॉली

गिरफ्तार करने वाली थाना भोगनीपुर पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अमरेन्द्र प्रताप सिंह चौकी प्रभारी पुखरायाँ,
2. हे0कां0 242 वीरेश कुमार,
3. हे0कां0 684 अभय प्रताप सिंह,
4. का0 1105 अमित चौधरी,
5. का0 245 संतोष कुमार,
6. रि0का0 अमन कुमार,
7. रि0का0 अल्केश कुमार,
8. रि0का0 रामलखन,